न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 48/2021 GCMS NO 2021/
दायरा तिथि : 24.09.2021
आदेश तिथि : 14.12.2021

प्रार्थीगण :–

1. श्रीमति भंवरकंवर पत्नि नवलसिंहजी जाति राजपुत
2. श्रीमति भंवरकंवर पुत्री नवलसिंहजी जाति राजपुत
निवासी मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. खुमाराम पुत्र लादारामजी जाति सीरवी निवासी मुण्डारा
2. गंगा पुत्री भुताराजी जाति सीरवी निवासी मुण्डारा
3. गलाराम पुत्र जीवारामजी जाति सीरवी निवीस मुण्डारा
4. छोगी पत्नि दुदारामजी जाति सीरवी निवासी मुण्डारा
5. जनु पुत्री भुतारामजी जाति सीरवी निवासी मुण्डारा
6. जोधाराम पुत्र दुदारामजी जाति सीरवी निवासी मुण्डारा
7. टीपु पत्नि लादारामजी जाति सीरवी निवासी मुण्डारा
8. तीजो पुत्री पेमारामजी जाति सीरवी निवासी मुण्डारा
9. नेमा पुत्र दौलाजी जाति सीरवी निवासी मुण्डारा
10. जोताराम पुत्र पेमाराम जाति सीरवी निवासी मुण्डारा
11. मोहनलाल पुत्र समाराम जाति सीरवी निवासी मुण्डारा
12. शोभा पुत्री समारामजी जाति सीरवी निवासी मुण्डारा
13. पुनाराम पुत्र दुदारामजी जाति सीरवी निवासी मुण्डारा
14. पनालाल पुत्र दुदारामजी जाति सीरवी निवासी मुण्डारा
15. पुराराम पुत्र लादारामजी जाति सीरवी निवासी मुण्डारा
16. पोनी पुत्री दुदारामजी जाति सीरवी निवासी मुण्डारा
17. बबीया पुत्री दुदारामजी जाति सीरवी निवासी मुण्डारा
18. भंवरी पुत्री दुदारामजी जाति सीरवी निवासी मुण्डारा
19. मोतकी पत्नि भुतारामजी जाति सीरवी निवासी मुण्डारा
20. मोहनलाल पुत्र दुदारामजी जाति सीरवी निवासी मुण्डारा
21. राईगाराम पुत्र दुदारामजी जाति सीरवी निवासी मुण्डारा
22. राजाराम पुत्र जीवारामजी जाति सीरवी निवासी मुण्डारा
23. वरजू पुत्री दुदारामजी जाति सीरवी निवासी मुण्डारा
24. वीरमाराम पुत्र लादारामजी जाति सीरवी निवासी मुण्डारा
25. सुखी पुत्री भुताराम जाति सीरवी निवासी मुण्डारा
26. सोनीबाई पत्नि समाराम जाति सीरवी निवासी मुण्डारा
तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक : 14.12.2021

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा मुण्डारा तहसील बाली के खसरा नंबर 1220 रकबा 3.1000 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में आवागमन के लिए रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण खुमाराम पुत्र लादाराम जाति सीरवी निवासी मुण्डारा वगैरा की खातेदारी भूमि ग्राम मुण्डारा के खसरा नंबर 1219 रकबा 6.89 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रैक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, मुण्डारा ने जांच कर रिपोर्ट दिनांक 14.12.2021 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

पेज लगातार.............02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 48/2021 GCMS NO 2021/
अनवान भंवरकंवर वगैरा बनाम खुमाराम वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

1.वांछित रास्ता खसरा नंबर 1466 रकबा 1.26 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता से शुरू होकर खसरा नंबर 1219 के दक्षिण–पश्चिम माठ (जो कि खसरा नंबर 1224 को छूती हैं) के सहारे सहारे होता हुआ खसरा नंबर 1220 तक पहुँचता है। जो मौके पर आवागमन चालू हैं।
2. चाहा गया मार्ग मुण्डारा–डूंगली मुख्य डामर सडक खसरा नंबर 1255 रकबा 3.94 हैक्टर से दक्षिण–पश्चिम दिशा की ओर निकलने वाले खसरा नंबर 1246 रकबा 1.26 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता से जुडता हैं।
3. वादीगण की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं हैं। तथा चाहा गया मार्ग ही सर्वसुगम तथा छोटा हैं। मौके पर रास्ता 11–12 फीट चौडा चल रहा हैं। जिसका क्षैत्रफल 164 X 4 =656 वर्गमीटर अर्थात् 0.0656 हैक्टर होगा।
4. प्रस्तावित भूमि ग्राम मुण्डारा की डी.एल.सी.दर 415440/– रूपये प्रति हैक्टर है।
5. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में कोई भी वृक्ष या निर्माण इत्यादि नहीं हैं, अतः अन्य कोई भी क्षति नहीं हैं

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थीगण की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थीगण की ओर से कोई एतराज/आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने तथा चाहा गया मार्ग मौके पर चालू होने से वकील प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 14.12.2021 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा मुण्डारा तहसील बाली के खसरा नंबर 1220 रकबा 3.1000 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में आवागमन के लिए अप्रार्थीगण खुमाराम पुत्र लादाराम जाति सीरवी निवासी मुण्डारा वगैरा की खातेदारी भूमि ग्राम **मुण्डारा** के खसरा नंबर 1219 रकबा 6.89 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल मेंसे कुल 164 X 4 =656 वर्गमीटर नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।
राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 415440– प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1219	6.89	164X4=656 वर्गमीटर यानि 0.0656 हैक्टर	41.54	27250 **X2= 54500**	खुमाराम पुत्र लादाराम जाति सीरवी निवासी मुण्डारा वगैरा जमाबंदी अनुसार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **54500/– (अक्षरे चौवन हजार पांच सौ)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर प्रभावित खातेदारान् को अदा की जावेगी। प्रभावित खातेदारान् द्वारा प्रतिकर राशि नहीं लिये जाने की दशा में आवेदक द्वारा नियमानुसार राशि तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी। तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक 114.12.2021

क्रमॉक/ कोर्ट(रास्ता)/2021/ 3105 — 3113
28-12-2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ एवं सूचनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 मुण्डारा
3. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
4. पटवारी हल्का, मुण्डारा
5. आवेदकगण भंवरकंवर पत्नि नवलसिंह जाति राजपुत निवासी मुण्डारा वगैरा को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner